इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 19/06/2017 मा0उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहें संयुक्त अभियान के क्रम में मोती लाल नेहरू रोड से बालसन चौराहा से मजार चौराहा, मजार चौरहा से मास्टर जहरूल हसन रोड (लाजपतराय मोड तक) एवं लाजपतराय रोड से आबकारी चौराहा तक नाला नाली एवं सड़क/पटरी के दोनो ओर अतिक्रमण अभियान चलाते हुये अतिक्रमण हटाया गया। उक्त अभियान के दौरान 38 बांस बल्ली के बने टट्टर 04 ग्रीनरी,02 चार पहिया ठेले, 01 टीन सेड, 01 रैम्प, 03 भटठी, 04 गुमटी, ध्वस्त किया गया। नगर निगम द्वारा रूपया 7.000,00 का जुर्माना भी वसूला गया ।

इस कार्यवाही में अपर नगर मजिस्टेट, द्वितीय व तृतीय से क्षेत्राधिकारी, एसो कर्नलगंज प्राधिकरण से अवर अभियन्ता श्री प्रभुनारायण, भवन निरीक्षक श्री विजय शंकर पाण्डेय, श्री राम सूरत सिंह नगर निगम से जोनल अधिकारी 1,2,3,व 4, नजूल विभाग के समस्त जिलेदार अतिक्रमण उन्मूलन के अतिरिक्त पुलिस/ पी0ए0सी0 बल,एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–
जोन संख्या–01 व 05 में 04 चालान 06 नोटिस निर्गत की गयी।
जोन संख्या–02व 04 में 07 चालान, 04 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–03 व 06 में जोनल अधिकारी श्री सत,शुक्ला के नेतृत्व में 05 चालान 01 नोटिस निर्गत की गयी। कुल 16 चालान, 11 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रतिलिपिः– सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेशित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःषुल्क प्रकाषित कराने का कश्ट करें।

19.6.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क